Monday, December 26, 2005
Hindustan Times, New Delhi

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
169, चितवन एस्टेट, सैक्टर-गामा, ग्रेटर नौएडा सिटी उ०प्र० 201 308

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेटर नौएडा नगरीय क्षेत्र में जल सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत जल मूल्य लिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु निम्नानुसार दरें निर्धारित की गयी है जो **दिनांक 01.05.2005** से लागू मानी जायेगी।

1. भवन/भूखण्ड क्षेत्रफल के अनुसार देय शुल्क

भूखण्ड क्षेत्रफल/ फ्लैट क्षेत्र वर्ग मी०	न्यूनतम शुल्क प्रतिमाह रू०
60 वर्ग मी० तक	30.00
61 वर्ग मी० से 120 वर्ग मी० तक	50.00
121 वर्ग मी० से 200 वर्ग मी० तक	90.00
201 वर्ग मी० से 350 वर्ग मी० तक	150.00
351 वर्ग मी० से 500 वर्ग मी० तक	200.00
501 वर्ग मी० से 1000 वर्ग मी० तक	300.00
1000 वर्ग मी० से अधिक होने पर वाटर मीटर द्वारा रू० 5.00 प्रति किलोलीटर की शुल्क दर होगी।	

2. मीटर रीडिंग के अनुसार देय शुल्क दर

मीटर रीडिंग के अनुसार शुल्क दिये जाने की स्थिति में आवासीय क्षेत्र हेतु दर रू० 4.00 प्रति किलो लीटर तथा आवासीय से भिन्न औद्योगिक, व्यवसायिक तथा संस्थागत के लिए रू 5.00 प्रति किलोलीटर होगी।

3. सामान्य शर्ते

- वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 माह अर्थात 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक वार्षिक जल मूल्य जमा कराए जाने पर 5% की छूट देय होगी।
- वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भी वार्षिक जल मूल्य जमा न कराये जाने पर 31 मार्च के बाद देय मूल्य राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर जो छमाही चक्रवृद्धि होगी, देय होगी।
- बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम आहरित होना चाहिए तथा ग्रेटर नौएडा/नौएडा/दिल्ली पर देय होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार ग्रेटर नौएडा स्थित इण्डियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं कैनरा बैंक को अधिकृत किया गया है। अतः उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार जल मूल्य का भुगतान निर्धारित बैंकों में करने का कष्ट करें।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण